रवि

विरूद्ध

बद्रीनारायण व अन्य

(सिविल अपील सं. 1926/2011)

18 फरवरी, 2011

(दलवीर भंडारी व दीपक वर्मा, न्यायमूर्ति)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 – धाराएं 140 व 166:

मोटर दुर्घटना - प्रतिकर दावा - क्या दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करने में देरी घातक प्रमाणित हो सकती है, जिससे दावेदार द्वारा संस्थित दावा याचिका खारिज हो सकती है - अभिनिर्धारित: हालांकि मोटर दुर्घटना दावा मामलों को निर्णीत करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराना महत्वपूर्ण है, फिर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में हुई देरी ऐसा कार्यवाहियों में घातक नहीं माना जाना चाहिए, यदि दावेदार इसके लिए संतोषजनक और ठोस कारण प्रदर्शित करने में सफल रहता है - वास्तविक मामलों में भी देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने के कई कारण हो सकते हैं - देरी के मामलों में, अदालतों को साक्ष्य का सूक्ष्म विश्लेषण करना चाहिए और ऐसा करते समय प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्यों को भी सूक्ष्मता से विश्लेषण करना चाहिए -यदि अदालत को पता चलता है

कि इसमें कोई बनावटीपन का संकेत नहीं है या इसमें निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने के लिए मनगढ़ंत या बनावट नहीं की गई है, तो भले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में देरी हुई हो, दावा मामला केवल उक्त आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। वर्तमान मामलें में, यह पूरी तरह से प्रमाणित हो गया है कि सड़क दुघर्टना में लिप्त ट्रक प्रत्यर्थी सं. 2 के स्वामित्व में था और प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा चलाया गया था, जिसके कारण अपीलार्थी को चोटें आई थीं - इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में देरी हुई थी लेकिन अपीलार्थी के पिता ने उसे स्पष्टीकृत किया - उनके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण न केवल संतोषजनक था; इसमें जो ठोस और वैध कारण बताए गए थे, इस कारण अत्यंत विश्वास योग्य था - इसके अलावा, अपीलार्थी के पिता द्वारा प्रारंभ से लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित होने तक एक सुसंगत रूख अपनाया गया था - इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में देरी मामले के लिए घातक थी- प्रथम सूचना रि

मोटर दुर्घटना - पर्याप्त और उचित प्रतिकर -अपीलार्थी, 8 वर्ष का एक अव्यस्क लड़का, को एक चलते ट्रक द्वारा टक्कर मारी - उसे 50% की सीमा तक स्थायी विकलांगता कायम हुई थी और कई शल्यक्रिया के बाद भी अपने मूत्र को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं था -अपीलार्थी अब लगभग 16 वर्ष का है लेकिन अभी भी केवल कक्षा पांच में अपनी पढ़ाई जारी रख

रहा है - अभिनिर्धारित किया: स्पष्ट रूप से, अपीलार्थी को लगी चोटों की प्रकृति के कारण, वह अपनी पढ़ाई को सही तरीके से आगे बढ़ाने में असमर्थ था और उसी कारण पिछड़ गया - ऐसे मामले में जहां पीड़ित को चोट स्थायी प्रकृति की है, वह चोट से मृत्यु होने वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक पीड़ित होता है - वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को जीवन भर पीड़ा सहन करनी पड़ेगी; इसका प्रतिकर न केवल पर्याप्त होना चाहिए, बल्कि उचित भी होना चाहिए -अपीलार्थी को लगी चोटों की प्रकृति को देखते हुए, जो प्रकृति में स्थायी हैं, और न्याय हित में, अपीलार्थी को प्रत्यर्थीयों द्वारा संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से देय 2.5 लाख रुपये का प्रतिकर दिया गया - इस राशि पर याचिका संस्थित करने की तिथि से लेकर वास्तविक भुगतान तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा।

अपीलार्थी, 8 वर्ष की उम्र का अव्यस्क लड़का, कथित तौर पर प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा चलाए जा रहे ट्रक की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल हो गया। प्रश्नगत ट्रक का स्वामित्व प्रत्यर्थी सं. 2 के पास था और उसका बीमा प्रत्यर्थी सं. 3 के पास था। अपीलार्थी के पिता ने घटना की तिथि के लगभग 3 महीने बाद औपचारिक प्राथमिकी संस्थित कराई। अपीलार्थी ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 140 और 166 के अधीन दावा याचिका (अपने पिता के माध्यम से) संस्थित की, जिसे मुख्य रूप से इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि घटना की औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से संस्थित कराई गई थी और अपीलार्थी यह भी

प्रमाणित करने में विफल रहा कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, उक्त ट्रक उक्त मोटर दुर्घटना में लिप्त था, जिससे वह घायल हो गया और उसे चोटें कारित हुई थी। उच्च न्यायालय ने इस आदेश को स्थिर रखा।

वर्तमान अपील में, न्यायालय के विचारार्थ उठने वाले प्रश्न थे: 1) क्या दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से संस्थित कराना घातक प्रमाणित हुआ, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा संस्थित दावा याचिका खारिज कर दी गई और 2) क्या प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा संचालित और प्रत्यर्थी सं. 2 के स्वामित्व वाला ट्रक दुर्घटना में लिप्त था और यदि हां, तो पीड़ित-अपीलार्थी को किस हद तक प्रतिकर दिया जा सकता है ?

न्यायालय ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1. उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन, जब अपीलार्थी अपने घर के ठीक सामने लघु शंका निवारण हेतु उपस्थित था, तब प्रत्यर्थी सं. 1 एक ट्रक को पीछे कर रहा था। चूंकि वहां कोई परिचालक नहीं था, शायद, प्रत्यर्थी सं. 1 यह ध्यान नहीं कर पाया कि अपीलार्थी सड़क के किनारे बैठा था, इस प्रकार वाहन को तेजी और लापरवाही से पीछे करते समय, उसने उसके पीछे से टक्कर मार दी। उक्त दुर्घटना को अपीलार्थी के पिता याची साक्षी सं.1 और याची साक्षी सं.2 ने देखा था। दुर्घटना के तुरंत बाद, वे दोनों अपीलार्थी को उपचार के लिए अस्पताल ले गए। ऐसे में वे तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने की स्थिति में नहीं थे। यद्यपि पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट

अभिलिखित करने के लिए अस्पताल आई थी, लेकिन याची साक्षी सं.1 उस समय मानसिक पीड़ा और तनाव की स्थिति में होने के कारण इसे अभिलिखित नहीं किया जा सका। यह स्पष्ट है उस समय उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित कराने से अधिक अपने पुत्र का उपचार कराने की चिंता थी। एक आम आदमी होने के नाते, कानून की बारीकियों से अनजान, उसने तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित कराना आवश्यक नहीं समझा। [पैरा 5] [408-एफ-एच; 409-ए-बी]

1.2. अपीलार्थी के पिता द्वारा संस्थित की गई औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट के विवेचनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि उसने दुर्घटना एवं दुर्घटना में उसके पुत्र के लगी चोटों का का यथार्थ और सजीव विवरण दिया था। उसने यह भी बताया कि 7.10.2001 से उसके पुत्र को कई बार अस्पताल में भर्ती कराया गया और उसका उपचार चल रहा था, वह तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित नहीं कर सका। उसने आगे बताया कि पुलिस अगले दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित करने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अस्पताल आई थी, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों ने सुझाव दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी सं. 1 अपीलार्थी का पड़ोसी था, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करना वांछनीय नहीं था और इसके बजाय प्रतिकर के मामले को आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता था। इसे देखते हुए दुर्घटना के तुरंत बाद या तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित नहीं की गई। द्वितीयतः अपीलार्थी अभी भी अस्पताल में

उपचाराधीन था तथा उसके लिए उपचार पर ध्यान देना प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करने से अधिक महत्वपूर्ण था। इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में देरी हुई. [पैरा 11 और 12] [410-ई-एच; 411-ए]

1.3. धारा 133 मोटरवाहन अधिनियम के अधीन जारी सूचनापत्र के उत्तर में, प्रत्यर्थी सं. 2 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसका वाहन 7.10.2001 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसे उसी दिन फोन पर इसके बारे में सूचना कर दी गई थी। इस प्रकार, इस स्वीकारोक्ति पर यह स्पष्ट रूप से सामने आता है कि प्रश्नगत वाहन, दुर्घटना में लिप्त था, जिससे अपीलार्थी को शारीरिक चोटें आईं। दिनांक 7.10.2001 को अपीलार्थी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, उपचारकर्ता चिकित्सकों द्वारा उसका चोट प्रतिवेदन भी भरा गया था, जिस पर अपीलार्थी के पिता के हस्ताक्षर हैं। उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि चोट का कारण 7.10.2001 को सुबह लगभग 9 बजे उनके घर के पास सड़क परिवहन दुर्घटना थी। [पैरा 13,14] [411-बी-डी]

1.4. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन, यह पूरी तरह से प्रमाणित होता है कि उपरोक्त ट्रक सड़क दुर्घटना में लिप्त था, जिससे अपीलार्थी को चोटें आई थीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में देरी हुई है, लेकिन अपीलार्थी के पिता ने पहले ही इस देरी को स्पष्टीकृत कर दिया है। उनके द्वारा दिया गया देरी का

स्पष्टीकरण न केवल संतोषजनक है, बल्कि देरी को स्पष्टीकृत करते हुए अत्यंत विश्वसनीय है, क्योंकि इसमें ठोस और वैध कारण बताए गए हैं। इतना ही नहीं, अपीलार्थी के पिता द्वारा प्रारंभ से लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित होने तक एक सुसंगत रुख अपनाया गया है। [पैरा 16] [411-एफ-एच]

1.5. घटनाओं के संचयी प्रभाव ने यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि दुर्घटना 7.10.2001 को सुबह लगभग 8.30 बजे प्रत्यर्थी सं. 2 के स्वामित्व वाले ट्रक के चालक प्रत्यर्थी सं. 1 द्वारा तेजी और लापरवाही से ट्रक को पीछे करने के कारण हुई थी। इन परिस्थितियों में यह नहीं कहा जा सकता कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में देरी अपीलार्थी द्वारा संस्थित प्रतिकर मामले के लिए घातक प्रमाणित हो सकती थी। उक्त घटनाएँ अपीलार्थी के पिता की सद्भाविकता को दर्शाती हैं। प्रारंभ से लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित होने तक उनके द्वारा एक सुसंगत रूख अपनाया गया है। कालानुक्रमिक घटनाएं विश्वास करने की प्रेरणा देती हैं और इससे किसी मनगढ़ंत मामले की बू नहीं आती जो केवल प्रतिकर पाने के इरादे से चालक और वाहन के स्वामी के विरूद्ध संस्थित किया गया है। [पैरा 18,19] [412-जी-एच: 413-ए-बी]

1.6. यह सर्वविदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में देरी याची के मामले पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकती। भारत में जैसी

परिस्थितियां हैं, कोई भी आम आदमी से यह आशा नहीं कर सकता कि वह किसी दुर्घटना के तुरंत बाद सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचे। मानवीय स्वभाव और पारिवारिक दायित्व परिजनों के दिमाग पर इस हद तक हावी हो जाते हैं कि वे पुलिस स्टेशन जाने की बजाय पीड़ित का उपचार कराने को अधिक महत्व देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, उनसे पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में यांत्रिक तत्परता की अपेक्षा नहीं की जाती है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में देरी, पीड़ित को न्याय न देने का मुख्य आधार नहीं हो सकता। देरी के मामलों में, अदालतों को साक्ष्यों की सुक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता होती है और ऐसा करते समय; प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु की भी अधिक सावधानी से जांच की जानी चाहिए। यदि अदालत को पता चलता है कि इसमें कोई बनावट का संकेत नहीं है या इसे निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने के लिए मनगढ़ंत या बनावटी नहीं किया गया है, तो भले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करने में देरी हो, दावे के मामले को केवल उस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। [पैरा20] 413-सी-ई]

1.7. इस प्रकार के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करने का उद्देश्य मुख्य रूप से पुलिस को दांडिक अपराधों की जांच शुरू करने के लिए सूचित करना होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करना निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को प्रमाणित करता है ताकि पीड़ित प्रतिकर के लिए मामला संस्थित कर सके लेकिन ऐसा करने में देरी दावा याचिका को

खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि मोटर दुर्घटना दावा मामलों पर निर्णय लेने में प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे संस्थित कराने में हुई देरी को, ऐसी कार्यवाही के लिए घातक नहीं माना जाना चाहिए, यदि दावेदार इसके लिए संतोषजनक और ठोस कारण प्रदर्शित करने में सफल रहता है। वास्तविक मामलों में देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने के कई कारण हो सकते हैं। जब तक पीड़ित के परिजन एक निश्चित स्तर की मानसिक शांति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो जाते हैं और इसे संस्थित करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, भले ही इसमें देरी हो, उसे क्षमा किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलंब से संस्थित कराने के ठोस कारण दर्शित होने पर, उसकी प्रमाणिकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। [पैरा 21] [413-एफ-एच; 414-ए-बी]

1.8. वर्तमान मामले में, दावा अधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने उस मानसिक पीड़ा को न समझकर गंभीर भूल की, जिससे अपीलार्थी के पिता प्रभावित थे, जिसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया था। दावा अधिकरण और साथ ही उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में भूल की है कि देर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करने पर दावा याचिका खारिज कर दी जाएगी। [पैरा 22,23] [414-सी-डी]

2.1. अभिलेख से पता चलता है कि पीड़ित की उम्र अब करीब 16 वर्ष हो चुकी है लेकिन वह अभी भी पांचवीं कक्षा में ही पढ़ाई कर रहा है। स्पष्ट रूप से, उसको लगी चोटों की प्रकृति के कारण, वह अपनी पढ़ाई को सही ढंग से आगे बढ़ाने में असमर्थ रहा और उसमें पिछड़ गया। राजकीय आर.डी.बी.पी. जयपुरिया अस्पताल, जयपुर द्वारा जारी मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र दिनांक 17.12.2004 से पता चलता है कि उसे कई गंभीर चोटें आई हैं और उसे चार बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था। [पैरा 24] [414-ई-एफ]

2.2. ऐसे मामले में जहां पीड़ित को लगी चोट स्थायी प्रकृति की होती है, उसे चोट के कारण मृत्यु होने वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक पीड़ा होती है। ऐसे मामलों में, घायल को जीवन भर स्थायी विकलांगता का बोझ उठाना पड़ता है, जो निश्चित रूप से पीड़ित के लिए बहुत अधिक दर्दनाक होता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को स्थायी प्रकृति की चोट लगी थी जिसके परिणामस्वरूप वह अपने मूत्र को नियंत्रित करने में असक्षम है। यह कष्ट उसे जीवन भर सहन करना पड़ेगा; इस प्रकार प्रतिकर न केवल पर्याप्त बल्कि उचित भी होना चाहिए। [पैरा 25] [414-एच; 415- ए-बी]

2.3. उपरोक्त चोट के कारण उसकी स्थायी शारीरिक विकलांगता 50% आंकी गई है। विशेषज्ञों के इस प्रतिवेदन से यह भी पता चलता है

कि वह मूत्र को नियंत्रित करने में असमर्थ है और संयम विकलांगता से पीड़ित है जो शल्यक्रिया के बाद भी ठीक नहीं हो सकती और अंग का बार-बार फैलाव होता रहता है। तदनुसार, उसे उक्त चिकित्सा मंडल द्वारा स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। इसलिए, उक्त प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि अपीलार्थी के कई शल्य क्रिया के बाद भी उसके शरीर में 50% की सीमा तक स्थायी विकलांगता कायम रही है; वह अपने मूत्र पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। कोई भी 16 वर्ष की आयु के एक युवा लड़के की समस्याओं और कठिनाइयों की अच्छी तरह से समझ और कल्पना कर सकता है, जो विद्यालय में उपस्थिति के समय भी अपने मूत्र पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और अपने वस्त्र खराब कर लेता है। इस अदालत को यह भी बताया गया है कि उसे कपड़ों के अतिरिक्त जोड़े के साथ जाना होगा ताकि अगर वे खराब हो जाएं तो वह उन्हें बदल सके। आज दिनांक भी यही स्थिति है और उपरोक्त प्रमाण पत्र की असलियत एवं शुद्धता संदिग्ध नहीं है। अन्यथा भी, प्रत्यर्थीगण ने यह तर्क नहीं दिया है कि यह प्रमाणपत्र जाली या मनगढ़ंत है और प्रतिकर प्राप्त करने के इरादे से प्राप्त किया गया है। [पैरा 26,27] [415-बी-एफ]

2.4. मामले को हर पहलू से देखने पर पता चलता है कि यह स्पष्ट रूप से प्रमाणित किया गया है कि उक्त दुर्घटना में अपीलार्थी को स्थायी प्रकृति की गंभीर चोटें लगी थीं और कई शल्य क्रिया के बावजूद आज तक ठीक नहीं हुई हैं। चोटों की प्रकृति को देखते हुए, जो प्रकृति में स्थायी हैं,

इस न्यायालय की राय है कि अपीलार्थी को न्याय के उद्देश्य काे पूरा करने हेतु 2,50,000 रूपए का प्रतिकर दिया जाता है, जिसके लिए प्रत्यर्थीगण संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से दायित्वाधीन होंगे। उपरोक्त राशि पर याचिका संस्थित करने की तिथि से लेकर वास्तव में भुगतान होने तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी लगेगा। इसके परिणामस्वरूप, दावा अधिकरण के निर्णय और उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को निरस्त किया जाता है, इसके बजाय अपीलार्थी की दावा याचिका स्वीकार की जाती है। [पैरा 28] [415- जी-एच; 416-ए-बी]

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं 1926 वर्ष 2011

एकलपीठ सिविल प्रकीर्ण अपील संख्यांक 3927 वर्ष 2007 में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ द्वारा पारित निर्णय व आदेश दिनांक 29.10.2007 से

शोभा, मोहिंदर पाल ठाकुर, रिधिमा गर्ग -अपीलार्थी के लिए

पंकज बाला वर्मा (धर्मबीर राज वोहरा के लिए) -प्रत्यर्थीगण के लिए

न्यायालय का निर्णय न्यायमूर्ति दीपक वर्मा जी द्वारा पारित किया गया

1. अपील स्वीकार।

2. नियति के क्रूर हाथों ने 7.10.2001 को सुबह लगभग 8.30 बजे मोटर सड़क दुर्घटना के कारण रवि, जिसकी उम्र 8 वर्ष थी, के जीवन पर

कहर बरपाया, जब ट्रक पंजीकरण सं. आरजेपी-1008 जिसे प्रत्यर्थी सं.1 बद्रीनारायण चला रहा था, जो प्रत्यर्थी सं.2 प्रहलादसिंह के स्वामित्व में और प्रत्यर्थी सं. 3 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ बीमाकृत, ने उसके पीछे से टक्कर मारी, जिससे उसके कई चोटें आईं। उसके दु:खों को और बढ़ाने के लिए, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, जयपुर (संक्षेप में, 'मो.दु.दा.अधि.') के समक्ष मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (इसके बाद इसे ' मो.वा.अधिनियम ' के रूप में संदर्भित किया जाएगा) की धारा 140 और 166 के अधीन संस्थित उनकी दावा याचिका सं. 865/2004 के रूप में पंजीकृत, को दिनांक 19.9.2007 को मुख्यतया इस आधार पर खारिज कर दिया गया कि आैपचारिक रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट बहुत देरी से संस्थित करवाई गई एवं अपीलार्थी यह प्रमाणित करने में विफल रहा है कि उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन उक्त ट्रक मोटर दुर्घटना से चोटें कारित करने में लिप्त रहा।

3. मोटरवाहन अधिनियम की धारा 173 के अधीन राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष अपील संस्थित की गई, जो भी 29.10.2007 को खारिज कर दी गई। इस प्रकार, पीड़ित के दु:खों को कम करने के लिए कि वह कुछ प्रतिकर राशि प्राप्त करके सम्मानजनक जीवन जी सके, उसकी सारी आशाएं टूट गईं, इन परिस्थितियों में उसने वर्तमान अपील संस्थित की है।

4. इस अपील में हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या दुर्घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से संस्थित कराना घातक प्रमाणित हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा संस्थित दावा याचिका खारिज कर दी जाए?

5. अनावश्यक विवरण से रहित तथ्य इस प्रकार हैं:-

7.10.2001 को, सुबह लगभग 8.30 बजे, रवि अपने घर के ठीक सामने, लघु शंका निवारण हेतु उपस्थित था। उक्त मकान के सामने 20 फीट चौड़ी कच्ची सड़क बनी है। उस समय, प्रत्यर्थी सं.1, बद्रीनारायण, ट्रक जिसके पंजीकरण सं. आरजेपी-1008 है, को पीछे कर रहा था। चूंकि कोई परिचालक नहीं था, शायद, वह यह ध्यान नहीं दे सका कि रवि सड़क के किनारे बैठा था, इस प्रकार ट्रक को तेजी व लापरवाही से पीछे करते हुए, उसके पीछे से टक्कर मार दी। उक्त दुर्घटना को याची साक्षी सं. 1 -पीड़ित के पिता सुरेश कुमार और याची साक्षी सं. 2 हरि नारायण ने देखा था। दुर्घटना के बाद दोनों रवि को उपचार के लिए अस्पताल ले गए। ऐसे में वे तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने की स्थिति में नहीं थे। हालांकि पुलिस प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित करने के लिए अस्पताल आई थी, लेकिन याची साक्षी सं.1 सुरेश कुमार के उस समय मानसिक पीड़ा और तनाव की स्थिति में होने के कारण इसे अभिलिखित नहीं किया जा सका। स्पष्ट है कि उस समय उसे प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने से अधिक

अपने पुत्र का उपचार कराने की चिंता थी। एक आम आदमी होने के नाते, कानून की बारीकियों से अनजान, उसने तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करना आवश्यक नहीं समझा। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अधीन हरि नारायण, सुरेश कुमार, आसिफ खान और रवि के बयान लेखबद्ध किए गए । मोटरवाहन अधिनियम की धारा 133 के अधीन सूचना पत्र जारी होने पर, वाहन स्वामी ने निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किया:

"यह प्रस्तुत किया गया है कि पंजीकरण के अनुसार मैं ट्रक सं. आरजेपी- 1008 का स्वामी हूं। 7.10.2001 को और दुर्घटना के समय, मेरा ट्रक चालक बद्री नारायण पुत्र श्री राम नाथ जाति ब्राह्मण, उम्र 45 वर्ष निवासी पुराना घाट, खनिया दयाल अस्पताल के सामने, पुलिस थाना- ट्रांसपोर्ट नगर, जयपुर मुझे उसी दिन फोन पर उक्त दुर्घटना की सूचना मिली।

एसडी/- (प्रह्लाद सिंह)

दिनांक: 16.3.2002"

6. वाहन के स्वामी प्रह्लाद सिंह की यह स्वीकारोक्ति पूरी तरह से प्रमाणित करती है कि उसे दुर्घटना के बारे में पता था और उसे पता था कि उसका ट्रक पंजीकरण सं. आरजेपी -1008 दिनांक 7.10.01 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। भले ही प्रत्यर्थी सं. 2, प्रह्लाद सिंह का उपरोक्त बयान 16.3.2002 को लेखबद्ध किया गया था, लेकिन इस बयान में उसने

स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि उसे फोन पर उक्त दुर्घटना के बारे में दुर्घटना के दिन 7.10.2001 को सूचित किया गया था। यह भी विवादित नहीं है कि उक्त समय पर उक्त ट्रक प्रत्यर्थी सं. 1 बद्रीनारायण द्वारा चलाया जा रहा था, यह तथ्य ट्रक के स्वामी ने भी स्वीकार किया है।

7. पीड़ित के पिता, सुरेश कुमार ने उक्त दुर्घटना का विवरण देते हुए, दुर्घटना की तिथि से लगभग 3 महीने बाद 26.1.2002 को दं.प्र.सं. की धारा 154 के अधीन आैपचारिक प्राथमिकी संस्थित की।

8. एतस्मिन पश्चात्, जैसा कि ऊपर बताया गया है, अपीलार्थी ने, अव्यस्क होने के कारण, मो.दु.दा.अधि. के समक्ष अपने पिता के माध्यम से क्षतिपूर्ति की याचिका संस्थित की कि उन्हें प्रतिकरस्वरूप 11 लाख रूपए दिए जावें।

9. सूचना पत्र निर्गमित होने पर, प्रत्यर्थी सं.1 और 2, क्रमशः ट्रक के चालक और स्वामी, सम्यक तामील के बावजूद अनुपस्थित रहे, जिस पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। केवल प्रत्यर्थी सं. 3, बीमा कंपनी द्वारा लिखित उत्तर पेश किया गया था। लेकिन प्रत्यर्थीगण ने अपीलार्थी द्वारा दिए गए साक्ष्यों के खंडन में कोई साक्ष्य नहीं दिया। यहां तक कि ट्रक के चालक ने भी दुर्घटना के तथ्य को नकारने के लिए साक्षी कक्ष में उपस्थित नहीं हुआ।

10. उपरोक्त परिस्थितियों में, हमें यह जांच करनी होगी कि क्या उक्त ट्रक दुर्घटना में लिप्त था और यदि हां, तो पीड़ित रवि को किस हद तक प्रतिकर दिया जा सकता है?

11. दिनांक 7.10.2001 को सुबह 8.30 बजे हुई दुर्घटना के लिए अपीलार्थी के पिता द्वारा पुलिस स्टेशन, टीपी नगर, जयपुर में 26.1.2002 को दोपहर 12.15 बजे औपचारिक प्राथमिकी संस्थित कराई गई थी। इसके विवेचनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि अपीलार्थी के पिता ने दुर्घटना का व उसके पुत्र रवि को लगी चोटों के बारे में यथार्थ और सजीव विवरण दिया था। उसने यह भी बताया कि चूँकि 7.10.2001 से उनका बेटा रवि कई बार अस्पताल में भर्ती हुआ था और उसका उपचार चल रहा था, वह तुरंत प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित नहीं कर सका।

12. उसने आगे उल्लेख किया कि पुलिस अगले दिन प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करने और अन्य औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अस्पताल आई थी, लेकिन वहां उपस्थित सभी लोगों ने सुझाव दिया कि चूंकि प्रत्यर्थी सं. 1 अपीलार्थी का पड़ोसी था, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराना वांछनीय नहीं था और इसके बजाय प्रतिकर के मामले को आपस में सौहार्दपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता है। इसे देखते हुए प्रथम सूचना रिपोर्ट शीघ्र ही या दुर्घटना के तुरंत बाद संस्थित नहीं करवाई। द्वितीयतः, रवि अभी भी अस्पताल में उपचाराधीन था, जिस पर ध्यान देना

उसके लिए प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने से अधिक महत्वपूर्ण था, इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में देरी हुई.

13. यहां पहले से ही उल्लेख किया गया है कि मोटरवाहन अधिनियम की धारा 133 के अधीन निर्गमित सूचना पत्र के उत्तर में , प्रत्यर्थी सं. 2, वाहन के स्वामी प्रह्लाद सिंह ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि उसका वाहन 7.10.2001 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और उसे उसी दिन फोन पर इसकी सूचना दे दी गई। इस प्रकार, उसकी इस स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन दुर्घटना में लिप्त था, जिससे रवि को शारीरिक चोटें आईं।

14. दिनांक 7.10.2001 को रवि को अस्पताल में भर्ती कराया गया, उपचार कर रहे चिकित्सकों द्वारा उसका चोट प्रतिवेदन प्रपत्र भी तैयार किया, जिस पर रवि के पिता सुरेश के हस्ताक्षर हैं। उसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि चोट का कारण 7.10.2001 को सुबह लगभग 9 बजे उनके घर के पास सड़क परिवहन दुर्घटना थी। पीड़ित के पिता सुरेश ने यह भी बताया है कि उस समय वह अपने पुत्र को लगी चोटों के संबंध में पुलिस मामले से संबंधित कोई चिकित्सकीय जांच नहीं चाहते थे।

15. जब 26.1.2002 को सुरेश द्वारा औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित की गई, तो बद्रीनारायण के विरूद्ध भा.दं.सं. की धारा 279 और 338 के अधीन अपराध करने के लिए दिनांक 21.03.2002 को आरोप पत्र

तैयार किया गया और अनुरोध किया गया कि आरोपी बद्रीनारायण के विरूद्ध विधिक कार्रवाई की जाए। यह प्रतिवेदन संबंधित पुलिस स्टेशन के थानाधिकारी द्वारा तैयार किया गया था।

16. उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के अधीन, यह पूरी तरह से प्रमाणित हो गया है कि उपरोक्त ट्रक सड़क दुर्घटना में लिप्त था, जिससे रवि को चोटें आई थीं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में देरी हुई है लेकिन सुरेश ने पहले ही इसका स्पष्टीकरण दे दिया है। उसके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण न केवल संतोषजनक है, इसमें जो ठोस और वैध कारण बताए गए है। इसके अलावा, सुरेश द्वारा प्रारंभ से लेकर प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित होने तक एक सुसंगत रूख अपनाया गया है।

17. देरी के कारण इस प्रकार हैं:-

i) रवि गंभीर रूप से घायल हो गया था, इसलिए सुरेश के लिए पहले उसका उपचार कराना अधिक महत्वपूर्ण था।

ii) पुलिस अस्पताल पहुंची थी, जहां चोट का प्रतिवेदन तैयार किया गया था, जिसमें उल्लेख किया गया था कि चोटें 7.10.2001 को सुबह 9.00 बजे सड़क दुर्घटना के कारण आई थीं।

iii) ट्रक के स्वामी प्रह्लाद सिंह द्वारा स्पष्ट स्वीकारोक्ति किया जाना कि प्रश्नगत वाहन दिनांक 7.10.2001 को हुई दुर्घटना में लिप्त था, जब उसे

बद्रीनारायण चला रहा था और यह जानकारी उसे उसी दिन फोन पर दी गई थी ।

iv) प्रथम सूचना रिपोर्ट तुरंत संस्थित नहीं की जा सकी क्योंकि इलाके के अन्य लोगों ने सुरेश पर दबाव डाला कि इस मामले को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझाया जा सकता है क्योंकि वाहन का चालक बद्रीनारायण उसका पड़ोसी था।

v) सुरेश को कानून की सुक्ष्मताओ की जानकारी नहीं थी कि दावा याचिका संस्थित करने से पहले प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराना एक शर्त थी।

ये सभी तथ्य औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित हैं, जो सुरेश के कहने पर 26.01.2002 को संस्थित की गई थी।

18. उपरोक्त घटनाओं के संचयी प्रभाव से स्पष्ट रूप से स्थापित किया कि दुर्घटना 7.10.2001 को सुबह लगभग 8.30 बजे प्रत्यर्थी सं.2 प्रहलाद सिंह के स्वामित्व वाले ट्रक के चालक बद्रीनारायण द्वारा ट्रक को तेजी और लापरवाही से पीछे करने के कारण हुई थी। इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में देरी रवि द्वारा संस्थित दावा मामले के लिए घातक प्रमाणित हो सकती थी।

19. उपरोक्त घटनाओं के वर्णन से सुरेश की सद्भाविकता प्रकट होती है। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया जा चुका है, प्रारंभ से लेकर प्रथम सूचना

रिपोर्ट संस्थित होने तक एक सुसंगत रुख अपनाया गया है। यहां ऊपर वर्णित कालानुक्रमिक घटनाएं विश्वास करने की प्रेरणा देती हैं और इससे किसी मनगढ़ंत मामले की बू नहीं आती है जो केवल प्रतिकर पाने के इरादे से चालक और वाहन के स्वामी के विरूद्ध संस्थित किया गया हो।

20. यह सर्वविदित है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में देरी याची के मामले पर संदेह करने का आधार नहीं हो सकती। भारत में जैसी परिस्थितियां हैं, कोई भी आम आदमी से यह आशा नहीं कर सकता कि वह किसी दुर्घटना के तुरंत बाद सबसे पहले पुलिस स्टेशन पहुंचे। मानवीय स्वभाव और पारिवारिक दायित्व परिजनों के दिमाग पर इस हद तक हावी हो जाते हैं कि वे पुलिस स्टेशन जाने की बजाय पीड़ित का उपचार कराने को अधिक महत्व देते हैं। ऐसी परिस्थितियों में, उनसे पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में यांत्रिक तत्परता की अपेक्षा नहीं की जाती है। इस प्रकार प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने में देरी, पीड़ित को न्याय न देने का मुख्य आधार नहीं हो सकता। देरी के मामलों में, अदालतों को साक्ष्यों की सुक्ष्मता से जांच करने की आवश्यकता होती है और ऐसा करते समय; प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषय वस्तु की भी अधिक सावधानी से जांच की जानी चाहिए। यदि अदालत को पता चलता है कि इसमें कोई बनावट का संकेत नहीं है या इसे निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने के लिए मनगढ़ंत या बनावटी नहीं किया गया है, तो भले ही प्रथम सूचना रिपोर्ट

संस्थित करने में देरी हो, दावे के मामले को केवल उस आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है।

21. इस प्रकार के मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करने का उद्देश्य मुख्य रूप से पुलिस को दांडिक अपराधों की जांच शुरू करने के लिए सूचित करना होता है। प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करना निश्चित रूप से दुर्घटना के तथ्य को प्रमाणित करता है ताकि पीड़ित प्रतिकर के लिए मामला संस्थित कर सके लेकिन ऐसा करने में देरी दावा याचिका को खारिज करने का मुख्य आधार नहीं हो सकता है। दूसरे शब्दों में, यद्यपि मोटर दुर्घटना दावा मामलों पर निर्णय लेने में प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित करना महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे संस्थित कराने में हुई देरी को, ऐसी कार्यवाही के लिए घातक नहीं माना जाना चाहिए, यदि दावेदार इसके लिए संतोषजनक और ठोस कारण प्रदर्शित करने में सफल रहता है। वास्तविक मामलों में देरी से प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने के कई कारण हो सकते हैं। जब तक पीड़ित के परिजन एक निश्चित स्तर की मानसिक शांति प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो जाते हैं और इसे संस्थित करने के लिए तैयार नहीं होते हैं, भले ही इसमें देरी हो, उसे क्षमा किया जाना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में प्रथम सूचना रिपोर्ट को विलंब से संस्थित कराने के ठोस कारण दर्शित होने पर, उसकी प्रमाणिकता और अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है।

22. हस्तगत मामले में, दावा अधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने, उस मानसिक पीड़ा को स्वीकार न करके गंभीर त्रुटि की, जिससे सुरेश प्रभावित था, जिसका पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गया था।

23. उपरोक्त विवेचन के आलोक में, हमारी सुविचारित राय है कि मो.दु.दा.अधि. के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में त्रुटि की है कि देर से प्रथम सूचना रिपोर्ट संस्थित कराने से दावा याचिका खारिज हो जाएगी।

24. अब यह प्रश्न विचारणीय है कि अपीलार्थी को कितनी राशि प्रदान की जा सकती है। अभिलेख से पता चलता है कि पीड़ित की उम्र अब करीब 16 वर्ष हो चुकी है लेकिन वह अभी भी पांचवीं कक्षा में ही पढ़ाई कर रहा है। स्पष्ट रूप से, उसको लगी चोटों की प्रकृति के कारण, वह अपनी पढ़ाई को सही ढंग से आगे बढ़ाने में असमर्थ रहा और उसमें पिछड़ गया। राजकीय आर.डी.बी.पी. जयपुरिया अस्पताल, जयपुर द्वारा जारी मेडिकल बोर्ड प्रमाणपत्र दिनांक 17.12.2004 से पता चलता है कि उसे निम्नलिखित चोटें आई हैं और उसे अस्पताल में चार बार रुक-रुक कर भर्ती कराया गया है:-

> "निदान: पेट में चोट, पेल्विस के अस्थिभंग के साथ, फटा हुआ मूत्रमार्ग के साथ मूत्रमार्ग का कठोर, युगल का लेन-देन मूत्रमार्ग (केस नं. 020762) द्वितीय भर्ती दिनांक

10.11.2001 से 12.11.2001, तृतीय भर्ती दिनांक 27.11.01 से 12.12.01; चतुर्थ भर्ती दिनांक 28.12.0 1 से 1.1.2002 तक।"

25. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसे मामले में जहां पीड़ित को लगी चोट स्थायी प्रकृति की होती है, उसे चोट के कारण मृत्यु होने वाले व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक पीड़ा होती है। ऐसे मामलों में, घायल को जीवन भर स्थायी विकलांगता का बोझ उठाना पड़ता है, जो निश्चित रूप से पीड़ित के लिए बहुत अधिक दर्दनाक होता है। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को स्थायी प्रकृति की चोट लगी थी जिसके परिणामस्वरूप वह अपने मूत्र को नियंत्रित करने में असक्षम है। यह कष्ट उसे जीवन भर सहन करना पड़ेगा; इस प्रकार प्रतिकर न केवल पर्याप्त बल्कि उचित भी होना चाहिए।

26. उपरोक्त चोट के कारण उसकी स्थायी शारीरिक विकलांगता 50% आंकी गई है। विशेषज्ञों के इस प्रतिवेदन से यह भी पता चलता है कि वह मूत्र को नियंत्रित करने में असमर्थ है और मूत्र त्याग पर नियंत्रण संबंधी विकलांगता से पीड़ित है जो शल्यक्रिया के बाद भी ठीक नहीं हो सकती और अंग का बार-बार फैलाव होता रहता है।

27. तदनुसार, उसे उक्त चिकित्सा मंडल द्वारा स्थायी विकलांगता प्रमाण पत्र भी जारी किया गया है। इसलिए, उक्त प्रमाणपत्र स्पष्ट रूप से प्रमाणित करता है कि अपीलार्थी के कई शल्य क्रिया के बाद भी उसके शरीर में 50% की सीमा तक स्थायी विकलांगता कायम रही है; वह अपने

मूत्र पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। हम 16 वर्ष की आयु के एक युवा लड़के की समस्याओं और कठिनाइयों की अच्छी तरह से समझ और कल्पना कर सकते है, जो विद्यालय में उपस्थिति के समय भी अपने मूत्र पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और अपने वस्त्र खराब कर लेता है। हमें यह भी बताया गया है कि उसे कपड़ों के अतिरिक्त जोड़े के साथ जाना होगा ताकि अगर वे खराब हो जाएं तो वह उन्हें बदल सके। आज दिनांक भी यही स्थिति है और उपरोक्त प्रमाण पत्र की असलियत एवं शुद्धता संदिग्ध नहीं है। अन्यथा भी, प्रत्यर्थीगण ने यह तर्क नहीं दिया है कि यह प्रमाणपत्र जाली या मनगढ़ंत है और प्रतिकर प्राप्त करने के इरादे से प्राप्त किया गया है।

28. इस प्रकार, मामले को हर पहलू से देखने पर यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि उक्त दुर्घटना में अपीलार्थी को स्थायी प्रकृति की गंभीर चोटें लगी थीं जो कई शल्य क्रिया के बावजूद आज तक ठीक नहीं हुई हैं। हमारी सामान्य गणना में, चोटों की प्रकृति को देखते हुए, जो कि स्थायी प्रकृति की हैं, हमारा मत है कि कुल 2,50,000 रूपए(ढाई लाख रूपए) का प्रतिकर अपीलार्थी को दिलाया जाना उचित है, जिसके लिए प्रत्यर्थीगण संयुक्त व पृथक-पृथक रूप से दायित्वाधीन होंगे, जिससे न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव हो सकेगी। उपरोक्त राशि पर याचिका संस्थित करने की तिथि से वास्तविक भुगतान होने तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज भी लगेगा। इसके परिणामस्वरूप, दावा अधिकरण का आवार्ड और उच्च न्यायालय का

निर्णय व आदेश एतद्द्वारा द्वारा रद्द कर अपास्त किए जाते हैं तथा अपीलार्थी की दावा याचिका को उपरोक्तानुसार व्यय सहित स्वीकार किया जाता है। तदनुसार यह अपील स्वीकार की जाती है। अधिवक्ता शुल्क रु. 10,000/- निर्धारित की गई है।

अपील स्वीकार।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्री सत्यनारायण व्यास(आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और अधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।